

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 203-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, NOVEMBER 22, 2017 (KARTIKA 30, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 नवम्बर 2017

संख्या 132/एसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 107/एसटी—2, दिनांक 18 अक्तूबर, 2017 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् कि सिफारिशों पर, इसके द्वारा, रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन सम्मिश्र उदग्रहण का विकल्प नहीं दिया था, को व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट प्रदाय के समय मालों के जावक प्रदाय पर जिसके अंतर्गत वह स्थितियां भी हैं जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंध लागू होते हैं, राज्य कर का भुगतान करेंगे और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथावर्णित ब्यौरे और विवरणियां प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग द्वारा कर के भुगतान के लिए विहित अवधि ऐसी होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है।

संजीव कौशल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 22nd November, 2017

No: 132/ST-2.-In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) and in supersession of Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 107/ST-2, dated the 18th October, 2017, the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered person who did not opt for the composition levy under Section 10 of the said Act, as the class of persons, who shall pay the State tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act including in the situations attracting the provisions of section 14 of the said Act, and shall accordingly furnish the details and returns as mentioned in Chapter IX of the said Act and the rules made thereunder and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered persons shall be such as specified in the said Act.

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

55795—C.S.—H.G.P., Chd.